



राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ

राज्य पी०सी०पी०एन०डी०टी० प्रकोष्ठ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी सैल / 2008 / 189

दिनांक : 09.01.2009

आदेश

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को सुनिश्चित एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्विति हेतु राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं निदेशक (प०क०) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसके निम्न सदस्य होंगे :-

1. संयुक्त निदेशक (आर०सी०एच०)
2. डी०ई०ओ०
3. विधि विशेषज्ञ (पीसीपीएनडीटी सैल)
4. एन०जी०ओ० समन्वयक (एनआरएचएम)
5. समाज कल्याण विभाग का अधिकारी
6. महिला एवं बाल विकास विभाग का अधिकारी
7. ARTH, उदयपुर।
8. RVHA, जयपुर।

कमेटी के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

“कन्या बचाओ अभियान” के अन्तर्गत “०-६” को आधार मानकर निम्न बिन्दुओं पर कार्य किया जाना है:-

1. Implementation of PCPNDT Act, 1994.
2. M.T.P. related matters.
3. Tracking of pregnancy till birth with cross-checking of pregnancy tracking.
4. Better health care to new-born and mother.
5. Proper vaccination of mother and child.
6. Protection to unwanted girls.
7. Mass awareness in Rajasthan about low child sex ratio

कमेटी की बैठक का आयोजन प्रत्येक तीन माह में एक बार होगा।

राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
सचिव (प०क०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव (प०क०) एवं मिशन निदेशक (एनआरएचएम), जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (प०क०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
5. निजी सहायक, अति० निदेशक (प०क०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
6. समस्त संबंधित
7. राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, जयपुर।

राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
सचिव (प०क०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर